उपायुक्त का न्यायाल, हजारीबाग

विविध वाद संख्या–27 / 2020

अनिल अग्रवाल

बनाम

राज्य

आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गइ कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी / तारीख*
दिनांक 24.12.2021	(1) प्रस्तुत मामला पायल फार्मा, चौपारण के मालिक अनिल अग्रवाल, पिता–ईश्वर लाल गुप्ता, साकिन चौपारण, हजारीबाग के द्वारा सील किए गए दवा दुकान को मुक्त करने हेतु दायर किया गया है। (2) वाद का सारांश यह है कि वादी के दवा दुकान पायल फार्मा को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने एवं कालाबाजारी करने के आरोप में सील किया गया है। (3) वादी का कहना है कि उन्हें माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका संख्या–2914 / 2020 के न्यायादेश के आलोक में अग्रिम जमानत प्रदान किया गया है तथा उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप निराधार है। वादी का यह भी कथन है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा दवा दुकान एवं घर की सघन तलाशी ली गयी परन्तु किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुआ। लम्बी अवधि से दवा दुकान बंद रहने के कारण उनके जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ दवा दुकान में बंद दवाईयॉ भी नष्ट हो रही है, जिसके कारण वादी को आर्थिक क्षति हो रही है। (4) वादी के अभ्यावेदन के आलोक में विधि प्रभारी के ज्ञापांक–749 / विधि दिनंक–15.10.2020 के द्वारा थाना काण्ड संख्या–92 / 2020 में अद्यतन स्थिति की मांग की गयी। (5) थाना प्रभारी, चौपारण के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध इस काण्ड के अलावा अन्य कोई काण्ड दर्ज नहीं है। दिनांक–29.03.2020 को सोशल मीडिया के तहत जानकारी मिली थी कि चौपारण स्थित ,पायल पॉली क्लिनिक द्वारा सेनिटाइजर उॅचे दाम पर बेची जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए चौपारण के	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की पंजी संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे : टिप्पणी/तारीख

स0अ0नि0 सुबोध कुमार एवं सशस्त्र बल दिनांक–01.04.2020 को पायल पॉली क्लीनिक पहुँचकर वायरल वीडियो के सत्यापन हेतु पायल पॉली क्लिनिक के कर्मचारी से पूछ–ताछ की गई। पूछ–ताछ के क्रम में बताया गया कि यहॉ सभी सामान उचित मूल्य पर मिलता है। वीडियो क्लिप में आए सेनिटाइजर का नमूना दुकान में नहीं मिली, किन्तु वीडियो में साफ दिख रहा है कि ग्राहक को सेनिटाइजर अंकित मूल्य में नहीं दिया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि दुकानदार कालाबाजारी कर ग्राहक से अधिक मूल्य वसूलना चाह रहा है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रायः सभी बिन्दुओं पर अनुसंधान पूर्ण हो जाने का तथ्य प्रतिवेदित है।

(6) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सभी बिन्दुओं पर अनुसंधान हो पुर्ण चुका है। वादी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिया जा चुका है। साथ ही इस वाद में साक्ष्य मिटाने या किसी अन्य बिन्दुओं पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में जब लगभग सभी दुकानों में सेनिटाइजर की उपलब्धता पर्याप्त है एवं इसकी कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में प्रशासनिक दृष्टिकोण से दवा दुकान को सील रखने का कोई औचित्य नहीं है।

(7) अतः पायल फार्मा को प्रशासनिक आदेश के द्वारा सीलबंद किये जाने के आदेश को समाप्त कर सीलमुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि उपरोक्त दुकान को अन्य न्यायालय के किसी न्यायादेश एवं थाना काण्ड संख्या–92/2020 के आलोक में न्यायिक प्रक्रिया के तहत सीलबंद किया गया है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, बरही, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, चौपारण एवं थाना प्रभारी, चौपारण को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

24/12/2021
उपायुक्त, हजारीबाग

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2022.04.09 13:56:17 +05:30
Location: 192.168.100.105

24/12/21
उपायुक्त, हजारीबाग